

(16)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का वितरण वर्ष 2015

1. अधिकारी/कर्मचारी का (परा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन
4. अगली वेतनवृद्धि की


संयुक्त संचालक विनय प्रकाश चतुर्वेदी

29760 + 7600 अ.क.प.

1-7-2015

3811  
20/11/15

उस जिले, उप-सभाग तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा तारीख	संपत्ति से वार्षिक आय	से आयुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1 देवघाट, झलवा सदर, झलवा पू. प्र.	2 162 का मोटा प्लाट पर मिश्रित भवन	3 —	4 30 लाख	5 स्वयं स्वयं-पानी के नाम	6 खरीद से दि 22/11/2011 को पुरुषोत्तम लाल सोनी 5/6 स्व. सोभनाथ सोनी M.A. पुरखंड सेव्या - 20 देवघाट, झलवा, झाड़वाड़	7 शून्य	8 —

हस्ताक्षर:   
 नाम: विनय प्रकाश चतुर्वेदी  
 पद नाम: संयुक्त संचालक

1. जहां लागू न हो काट दीजिए।
2. जहां ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. इसमें अल्पकालीन पट्टा भी सम्मिलित है।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय संवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक 'उसके द्वारा धारित भगस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे